झारखण्ड सरकार
विधि (न्याय) विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–834004

आदेश संख्या–झा0–विधि–अभि0–स्वी0–13/2015– 21 /जे0 राँची, दिनांक–01 मई, 2015

–:: आदेश ::–

चूँकि, सचिव, विधि विभाग, को सम्बोधित जल संसाधन विभाग, झारखंड, **राँची की** संचिका संख्या–8/ज0स0 (नि0)ग्रा0–08–06/2015 एवं उसमें उपलब्ध कागजात, प्राथमिकी, **कांड**–दैनिकी, पर्यवेक्षण–टिप्पणी, तथा अभिलेखों के परिशीलन के बाद राज्य सरकार को यह समाधान हो **गया है** कि खूँटी थाना कांड संख्या–181/14 दिनांक–28.12.2014 के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त **श्री शैलेन्द्र कुमार** मंडल, **कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल**, खूँटी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 के अधिनियम संख्या–45) की धारा–385, 504, 506, 468, एवं 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण **अधिनियम**, 1988 (1988 का 49) की धारा–13(2) सहपठित धारा–13(1)(ए) के उपबंधों के अधीन अभियोजन **के लिए** प्रथम द्रष्ट्या केस बनता है ;

और चूँकि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की अधिनियम संख्या–2) की धारा–**197(1)(बी)** तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा–19(1)(बी) के उपबंधों के **अधीन** कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध, जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही अपने पद **से** हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का, जो इसके द्वारा अपने पदीय–कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य **करते हुए** या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया अभिकथित हो, संज्ञान नहीं ले सकता है ;

और चूँकि, **श्री शैलेन्द्र कुमार** मंडल, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास **विशेष** प्रमंडल, **खूँटी** ऐसे लोक सेवक हैं, जो राज्य सरकार की मंजूरी पर ही सेवा से हटाये जा सकते हैं, और **यह** अभिकथित है कि उन्होंने यह अपराध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने **का तात्पर्य** रखते हुए किया है;

और, अब, इसलिए राज्य सरकार एतद् द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 के **अधिनियम** संख्या–2) की धारा–197 (1)(बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंड संहिता (1860 **के** अधिनियम संख्या– 45) की धारा–385, 504, 506, 468, एवं 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा–19(1)(बी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा–**13(2)** सहपठित **धारा**–13(1)(ए) के उपबंधों के अधीन अपराधों के लिए उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति **प्रदान** करती है।

झारखण्ड राज्यपाल **के** आदेश से,

(बी0 बी0 मंगलमूर्ति)
प्रधान सचिव–सह–**विधि** परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, **झारखण्ड**, राँची ।

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:–8/ज०सं०(नि०)ग्रा०–08–06/15:– 2694/ राँची, दिनांक:– 03-06-15

प्रतिलिपि:–उपायुक्त, खूँटी/ पुलिस अधीक्षक, खूँटी/ संयुक्त सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.6.15

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।